**माध्यस्थम विध**

**प्रश्न १ न्यूयार्क कंवेसन के अंतर्गत विदेशि पंचाट कि परिभाषा दिजिये तथा विदेशी पंचाट प्रवर्तन कि शर्तों कि विवेचना किजिये**

उत्तर १**न्यूयार्क अभिसमय पंचाट**

परिभाषा-इस अध्याय में, जब तक प्रसंग अन्यथा अपेक्षा करता है , तब तक (विदेशी पंचाट" विधिक नातेदारी से उद्भूत होने वाले व्यक्तियों के बीच भिन्नताओं पर एक माध्यस्थम् पंचाट से अभिप्रेत है चाहे संविदात्मक हो या न हो , जिसे 11 अक्टूबर, 1960 को या के पश्चात् पारित किये गये भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक माना गया। (क) माध्यस्थम् के लिये लिखित तौर पर एक करार के अनुसरण में जिसका अभिसमय अनुसूची में

उल्लिखित हुआ लागू होता है, और (ख) इस प्रकार के राज्यों में एक जिसका केन्द्रीय सरकार हो जाने के कारण समाधान हो जाता है, कि

प्रतिकूल प्रावधानों को राज्यक्षेत्रों के होने के रूप में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा चुका है जिसके प्रति कथित अभिसमय लागू होता है।

टिप्पणी प्रस्तुत अधिनियम की धारा 44 मूल रूप से विदेशी पंचाट (मान्यता एवं प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 पर आधारित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि 1961 के अधिनियम की धारा 2 को पुनः प्रस्तुत अधिनियम की धारा 44 के रूप में उपबन्धित कर दिया गया है।

धारा 44 के अनुसार एक माध्यस्थम् पंचाट विदेशी पंचाट होगा यदि( i) पंचाट उस करार के अनुक्रम में दिया गया हो जिस पर न्यूयार्क अभिसमय लागू होता हो , और (ii) पंचाट उस राज्य क्षेत्र में दिया गया हो जिस राज्य क्षेत्र पर पारस्परिकता (Reciprocity) के आधार ____ पर न्यूयार्क अभिसमय लागू होता हो।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

## माध्यस्थम विध

सामान्य तौर पर यदि कोई पंचाट विदेश में दिया गया हो तो माध्यस्थम् विदेशी विधि द्वारा शासित हो तो उसे विदेशी पंचाट कहा जा सकता है। यदि कोई पंचाट उस राज्य क्षेत्र में दिया गया है जिस राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने यह नहीं घोषित किया है कि उस राज्य क्षेत्र में न्यूयार्क अभिसमय लागू है (अर्थात् उस राज्य क्षेत्र पर न्यूयार्क अभिसमय लागू नहीं है) तो वह पंचाट धारा 44 के अर्थों में विदेशी पंचाट नहीं है। मोटे तौर पर धारा 44 के अनुसार, विदेशी पंचाट की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि "विदेशी पंचाट से तात्पर्य विधिक सम्बन्धों से उत्पन्न विवादों पर 11 अक्टूबर, 1960 को या उसके पश्चात् निर्मित ऐसे माध्यस्थम् पंचाट से है, जो एक लिखित करार के अनुसरण में हो, जिस पर न्यूयार्क अभिसमय लागू होता तथा उस क्षेत्र में किया गया हो जिस पर पारस्परिकता के आधार पर न्यूयार्क अभिसमय लागू हो।"

उपरोक्त सन्दर्भित विधिक सम्बन्ध के विषय में दो तथ्य मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं(i) ऐसे विधिक सम्बन्धों के विषय में यह आवश्यक नहीं है कि वे संविदा द्वारा ही उत्पन्न हुये हों।

विधिक सम्बन्ध असंविदात्मक भी हो सकते हैं। ( ii) ऐसे विधिक सम्बन्धों को भारत में प्रवृत्त विधि के अन्तर्गत वाणिज्यिक माना गया हो या समझा

जाता हो। धारा 44 का विवेचन करने से इस धारा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं1. विधिक सम्बन्धों से उत्पन्न विवादों पर निर्मित पंचाट , चाहे विधिक सम्बन्ध संविदात्मक हों

अथवा नहीं, 2. ऐसे विधिक सम्बन्ध भारत में प्रवृत्त विधि के अनुसार वाणिज्यिक प्रकृति के हों , 3. पंचाट ऐसे लिखित करार के अनुसरण में निर्मित हों जिस पर न्यूयार्क अभिसमय लागू होता हो, 4. पंचाट ऐसे क्षेत्र में निर्मित किया गया हो, जिसे केन्द्रीय सरकार ने पारस्परिकता के आधार पर



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विध**

शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा न्यूयार्क अभिसमय लागू होने वाला क्षेत्र स्वीकार किया हो। 5. पंचाट 11 अक्टूबर, 1960 अथवा उसके पश्चात् निर्मित किया गया हो। उपरोक्त तत्वों की विवेचना इस प्रकार है

1. विधिक सम्बन्ध-आदर्श विधि! में विधिक सम्बन्ध का सन्दर्भ दिया गया है। आदर्श विधि की टीका 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि विधिक सम्बन्ध शब्दावली का विस्तृत अर्थान्वयन किया जाना चाहिये , जिससे यह शब्दावली व्यवहार रूप में उत्पन्न होने वाली सभी संविदात्मक एवं असंविदात्मक विषयों को समाहित कर सके। उदाहरण स्वरूप ऐसे मामले जिसमें किसी तीसरे पक्षकार द्वारा संविदात्मक सम्बन्धों में व्यवधान डाला जा रहा हो अथवा कोई असाम्यिक अऋजु प्रतियोगिता। इस विषय पर यह उल्लेखनीय है कि अपकृत्य के अन्तर्गत उत्पन्न वाद का कारण को असंविदात्मक सम्बन्धों से उत्पन्न विधिक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। इस धारा की आवश्यकता मूलत: केवल इतनी है कि पक्षकारों के मध्य विधिक सम्बन्ध होना चाहिये चाहे वह संविदात्मक हो या असंविदात्मक। 12. विधिक सम्बन्ध भारतीय विधि के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रकृति का हो-प्रस्तुत अधिनियम में वाणिज्यिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह शब्द संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग द्वारा बनायी गयी अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् विषयक आदर्श विधि में स्पष्टीकृत है। प्रस्तुत अधिनियम की उद्देशिका में आदर्श विधि का सन्दर्भ दिया गया है , अतः स्पष्टीकरण का सन्दर्भ देना यहां समीचीन है, जिसके अनुसार

वाणिज्यिक शब्द को विस्तृत अर्थ दिगा जाना चाहिये, जिससे इसके अन्तर्गत वे सभी मामले सम्मिलित हो सकें जो वाणिज्यिक प्रकृति के सम्बन्धों से उठते हैं। चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं। वाणिज्यिक प्रकृति के सम्बन्धों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, परन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं है। यथा-माल या सेवा की आपूर्ति या विनिमय हेतु किया गया व्यापारिक संव्यवहार ; वितरण हेतु करार , वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व या अभिकरण; कारखाने आदि का कार्य, किरायेदारी या पट्टेदारी का कार्य;



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

निर्माण कार्य; सलाह देने का कार्य ; अभियान्त्रिकी कार्य; अनुज्ञप्ति आदि के कार्य ; निवेश; बैंकिंग; बीमा; वित्त सम्बन्धी कार्य; रियायत सम्बन्धी कार्य; संयुक्त उपक्रम अथवा अन्य प्रकार का औद्योगिक या व्यापारिक सहयोग का कार्य ; समुद्र रेल; रोड; वायु मार्गों से यात्री अथवा माल की ढुलाई का कार्य आदि " आर० एम० इन्वेस्टमेण्ट एण्ड ट्रेडिंग कं० (प्रा०) लि. बनाम बोइंग कं 04 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त उद्धरण का स्पष्टीकरण दिया था तथा यह स्पष्ट किया था कि 'वाणिज्यिक' शब्द का अर्थान्वयन व्यापक रूप में ही करना चाहिये जिससे कि इसके अन्तर्गत वे सभी क्रियाकलाप शामिल हो सकें जो वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अभिन्न अंग बन चुके हैं।

आवश्यकता मूलत: केवक सम्बन्धों से उत्पबह उल्लेखनीय है कि

य चाहे वह संविदा

3. लिखित करार- इस धारा के प्रयोजन के लिये विदेशी पंचाट के विषय में यह भी आवश्यक है कि वहे पंचाट लिखित माध्यस्थम् करार के अनुसरण में दिया गया होना चाहिये, (अर्थात् विवक्षा यह है कि मौखिक करार का महत्व नहीं है।) इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त लिखित करार पर न्यूयार्क अभिसमय लागू होना चाहिये।

4. पंचाट ऐसे क्षेत्र में निर्मित जिस पर न्यूयार्क अभिसमय लागू हो-प्रस्तुत धारा के प्रयोजन के लिये यह एक मूलभूत आवश्यकता है कि पंचाट ऐसे क्षेत्र में निर्मित किया गया हो, जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित किया हो , जिस पर न्यूयार्क अभिसमय लागू होता हो। धारा 44 (ख) के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना द्वारा जो देश घोषित किये गये हैं, वे निम्नलिखित हैं

आस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, बुल्गारिया, सेण्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक , चिली, क्यूबा, चेक सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेनमार्क, इक्वाडोर, मिस्र फिनलैण्ड, फ्रान्स जर्मनी,



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

घाना, ग्रीस, हंगरी, इटली, जापान, कुवैत, कोरिया रिपब्लिक , मालगासे रिपब्लिक मैक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, नीदरलैण्ड, नार्वे, फिलीपीन्स, पोलैण्ड, रोमानिया, सैनमेरेनि, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, सीरिया, थाइलैण्ड, ट्रिनीडाड, होबैगो, ट्यूनीशिया, रूस, युनाइटेड किंगडम, तंजानिया, अमेरिका

5. उपरोक्त चारों तथ्यों की उपस्थिति के साथ-साथ यह भी अपेक्षित है कि पंचाट 11 अक्टूबर को अथवा उसके पश्चात् निर्मित किया गया हो।'

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि एक पंचाट केवल इसी कारण से विदेशी पंचाट नहीं हो जाता है कि वह विदेशी राज्य में निर्मित है , बल्कि पंचाट तब विदेशी कहा जाता है, जब वह ऐसे क्षेत्र तथा ऐसे माध्यस्थम् करार के अनुसरण में निर्मित है जो भारतीय विधि से शासित नहीं है।

नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो० बनाम सिंगर कं० 7 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि पक्षकारों ने संविदा के सम्बन्ध में उपयुक्त विधि के रूप में भारत में प्रवर्तित होने वाली विधि का चयन किया है , तथा दिल्ली के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार स्वीकार किया है, तो उस स्थिति में पंचाट भारतीय पंचाट ही होगा न कि विदेशी पंचाट , भले ही संविदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति की हो तथा प्रक्रियात्मक पण इण्टरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कामर्स के नियमों द्वारा संचालित किये जाते हों।

PGS National College Of Law



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विध**

**प्रश्न २ आप विदेशी पंचाट से क्या समझते है विदेशी पंचाट घरेलू पंचाट से किस प्रकार भिन्नहै**

उत्तर २ धारा 44 (ख) न्यूयार्क अभिसमय की अनुप्रयोज्यता को सीमित करती है तथा स्पष्ट करती है कि केवल उन क्षेत्रों में दिये गये पंचाट ही इस अभिसमय द्वारा शासित होंगे, जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने व्यतिकारी उपबन्ध कर दिये हैं।

ट्रांस ओसन शिपिंग एजेन्सीज लि. बनाम ब्लैक सी० शिपिंग 2 के वाद में यह तर्क दिया गया कि सोवियत संघ के 1991-92 के विघटन के परिणामस्वरूप यूक्रेन अलग हो गया है। अतः एक नयी अधिसूचना जारी कर यूक्रेन को व्यतिकारी राज्य घोषित करना चाहिये। इस तर्क को अमान्य करते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि सोवियत संघ की राजनैतिक उथल-पुथल के पश्चात् भी विदेशी पंचाट के विषय में स्थित पूर्ववत् बनी रहेगी तथा यूक्रेन को स्वतः ही क्रान्तिकारी राज्य समझा जायेगा)

। प्रस्तुत धारा न्यूयार्क अभिसमय के अनुच्छेद II (3) पर आधारित है तथा वह विदेशी पंचाट (मान्यता एवं प्रवर्तन) अधिनियम की धारा 3 के अनुरूप है। इस धारा के द्वारा न्यायालय पर यह बाध्यकारी कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि करार के पक्षकारों में से एक के अनुरोध पर पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिये निर्देशित करें।

। इस धारा को अध्यारोही प्रभाव दिया गया है। तात्पर्य यह है कि माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 के भाग 1 अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कोई विपरीत प्रावधान होने के बाद भी धारा 45 प्रभावी होगी। यह प्रावधान आबद्धकारी है तथा न्यायालयों को इस सम्बन्ध में विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। धारा 45 लागू किये जाने के लिये निम्नलिखित शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है( i) एक लिखित करार होना चाहिये जिस पर इस भाग के प्रावधान लागू होते हों। दूसरे शब्दों में



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विध**

पक्षकारों ने धारा 44 के प्रयोजन से एक लिखित करार किया हो।

(ii) करार के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही शुरू की गयी होनी

चाहिये। ( iii) विधिक कार्यवाही उस विषय के सम्बन्ध में होनी चाहिये , जिसके सम्बन्ध में पक्षकार के

मध्य यह करार हुआ हो कि उस विषय को माध्यस्थम् को निर्देशित किया जायेगा। (iv) पक्षकार अथवा उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा मामले को

माध्यस्थम् को निर्देशित करने के लिये न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया गया हो। (v) ऐसा करार अकृत अथवा शून्य या अप्रवर्तनीय या लागू किये जाने के अयोग्य नहीं होना

चाहिये

(धारा 45 को साधारण शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि "जब पक्षकारों ने किसी विषय को माध्यस्थम् को सन्दर्भित करने के विषय में करार कर रखा है तथा उस विषय के सन्दर्भ में एक पक्षकार न्यायालय चला जाता है, तो दूसरा पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकेगा कि मामले को माध्यस्थम् को निर्देशित कर दिया जाये। तब न्यायालय माध्यस्थम् करार की प्रवर्तनीयता , विधिमान्यता तथा अस्तित्व आदि के बारे में उचित सन्तुष्टि प्राप्त कर लेने पर मामले को माध्यस्थम् को निर्देशित कर देगा। अत: यदि पक्षकार उस विषय के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही के लिये जोर देते हैं , जिसको माध्यस्थम् द्वारा निपटाने का करार किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इन्कार कर देगा , परन्तु न्यायालय मामले को दूसरे पक्षकार के आवेदन पर ही माध्यस्थम् को निर्देशित कर सकता है। इस सम्बन्ध में यह सिद्ध



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

करने का भार कि करार अकृत एवं शून्य ( null and void) है, उस पक्ष पर है जो पक्ष माध्यस्थम् के लिये निर्देशित किये जाने का विरोध करता है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकार द्वारा माध्यस्थम् के लिये निर्देशित कराने के अपने अधिकार का अधित्याग किया जा सकता है , परन्तु इस प्रकार का अधित्याग अभिव्यक्त एवं स्पष्ट होना चाहिये नकि विवक्षित। निम्नलिखित परिस्थितियों में अधिकार के अधित्याग का निष्कर्ष निकाला जा सकेगा

1. यदि पक्षकार ने न्यायिक कार्यवाही के संचालन में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया है। 2. यदि पक्षकार ने स्थगन का आदेश देना उचित नहीं समझा हो। 3. यदि न्यायालीय कार्यवाही सारवान रूप से आगे बढ़ गयी हो तथा दोनों पक्ष संक्रिय भाग ले रहे

हों। 4. यदि पक्षकार मामले को विधिक कार्यवाही के द्वारा निपटाना चाहता हो।

धारा 45 के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण वाद उड़ीसा राज्य बनाम लोकनर एण्ड कं०1 का है। जिसमें व्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार द्वारा कम्पनी का , अधिग्रहण करने के पश्चात् भी , राज्य साकार कम्पनी के द्वारा की गयी विक्रय संविदा से बाध्य थी, जिसमें विवाद को माध्यस्थम् को निर्देशित किये जाने का करार था।

प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि उस विदेशी पंचाट को विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

इस धारा का अन्तिम भाग यह प्रावधानित करता है कि प्रस्तुत अध्याय में जहां कहीं भी विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के प्रति निर्देश दिया गया है , उसमें विदेशी पंचाट पर आश्रय के प्रति निर्देश को भी सम्मिलित किया जायेगा।

यह धारा इस सन्दर्भ में कोई समय सीमा नहीं निर्धारित करती है कि कब एक विदेशी पंचाट बाध्यकारी हो जायेगा। जबकि घरेलू पंचाट , पंचाट की प्राप्ति की तिथि



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

से तीन माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् अन्तिम एवं बाध्यकारी हो जाती है , यदि पंचाट को चुनौती देने वाला प्रार्थना-पत्र कथित तीन माह की अवधि के भीतर न दिया गया हो। घरेलू पंचाट को चुनौती देने की तीन माह की अवधि सीमा को न्यायालय 30 दिनों के लिये और बढ़ा सकती है (ऐसा धारा 35, धारा 36 तथा सपठित धारा 34 का सम्मिलित प्रभाव है)। _फारगो फ्रेट लिमिटेड बनाम कमोडिटीज एक्सचेंज कार्पोरेशन के वाद में एक इंगलिश पंचाट के प्रवर्तित कराने के लिये प्रस्तुत अध्याय की धारा 46 से 49 की कार्यवाही के अन्तर्गत मामले का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में एक तीसरे पक्षकार के दायित्व का विवाद खड़ा कर दिया गया। न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुये यह सम्प्रेक्षित किया कि पंचाट के प्रवर्तन के समय किसी तीसरे पक्षकार के विवाद के कारण को मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा समुचित कार्यवाही करके तीसरे पक्षकार के विवाद का निपटारा कराना चाहिये।

7 धारा 47 न्यूयार्क अभिसमय के अनुच्छेद IV तथा विदेशी पंचाट (मान्यता एवं प्रवर्तन) अधिनियम, 1967 की धारा 8 के समरूप है। प्रस्तुत धारा उन प्रक्रियात्मक शर्तों को निरूपित करती है, जो विदेशी पंचार का प्रवर्तन चाहने वाले पक्षकार को पूरा करनी होती है, अर्थात् विदेशी पंचाट का प्रवर्तन चाहने वाले पक्षकार द्वारा धारा 47 में वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

धारा 47 के अनुसार विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने वाले पक्षकार द्वारा न्यायालय निम्नलिखित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा

/ (i) मूल पंचाट; या यदि मूल पंचाट नहीं पेश किया जाता है तो जिस देश में पंचाट निर्मित किया

गया है , उस देश की विधि द्वारा अपेक्षित रीति से सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि, और ( ii) मूल माध्यस्थम् करार या सम्यक् रूप से प्रमाणित उसकी



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रतिलिपि; (iii) ऐसा अन्य साक्ष्य जिससे यह साबित हो सके कि पंचाट एक विदेशी पंचाट है।

PGS National College Of Law



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विध**

**प्रश्न ३ मध्यस्थम एवम सुलह अधिनियम १९९६ के अंतर्गत किन आदेशो के विरुध्ह अपिल कि जा सक्ति है अपिल संबंधी प्रावधानों कि विवेचना किजिये क्या दिव्तिये अपील कि जा सकती है**

उत्तर ३ धारा 45 तथा धारा 48 के सम्बन्ध में विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि जहां धारा 45 में न्यायिक प्राधिकरण को पंचाट निर्मित करने से पूर्व कि स्थिति में ही माध्यस्थम् करार की अकृतता शून्यकरणीय तथा अप्रवर्तनीयता को देखने की शक्ति है, वहीं धारा 48 (1) (क) में पंचाट के प्रवर्तित कराये जाने के अवसर पर न्यायिक प्राधिकरण को यह शक्ति प्राप्त है।

विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन-जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विदेशी पंचाट, इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय है , वहां पंचाट को उस न्यायालय की एक डिक्री होना समझा जायेगा।

टिप्पणी प्रस्तुत धारा न्यूयार्क अभिसमय के अनुच्छेद III तथा विदेशी पंचाट (मान्यता एवं प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुरूप है।

यह धारा विदेशी पंचाट के प्रवर्तन का प्रावधान करती है तथा स्पष्ट करती है कि यदि न्यायालय इस तथ्य से सन्तुष्ट है कि प्रश्नगत विदेशी पंचाट इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय है , तो वह पंचाट उस न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा। इस प्रकार इसमें अन्तर्निहित है कि वह न्यायालय उस पंचाट का प्रवर्तन ठीक उसी प्रकार करा सकेगा जैसे कि वह पंचाट उसके द्वारा पारित डिक्री हो।

इस प्रकार इस धारा द्वारा पंचाट के प्रवर्तन और निष्पादन में कोई भेद नहीं किया गया है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द 'प्रवर्तन' को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 में प्रयुक्त शब्द निष्पादन के समकक्ष ही समझा जाना चाहिये।

एफ० डी० लाखन बनाम जिन्दल एक्सपोर्ट लि olके वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी पंचाट की वैधता को जांचने तथा उसको डिक्री के रूप में



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रवर्तित कराने के लिये दो भिन्न प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही कार्यवाही में यह जांच भी की जा सकती है कि पंचाट इस अध्याय के अन्तर्गत प्रवर्तनीय है कि नहीं, तथा उसी कार्यवाही में उसका प्रवर्तन भी कराया जा सकता है।

मेसर्स सेन्ट्रो ट्रेड मिनरल्स एण्ड मेटल्स बनाम हिन्दुस्तान कॉपर लि 02 के वाद में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार मण्डल के द्वारा एक पंचाट दिया गया था , जिसके निष्पादन की कार्यवाही अलीपुर के जिला जज के समक्ष दखिली 24 परगना में किया गया। जिसका विरोध हिन्दुस्तान कॉपर लि० के द्वारा किया गया और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त पंचाट को गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है। यह भी

कहा गया कि अन्तरिम आदेश के निमित्त आवेदन के रूप में जो मामला न्यायालय में लाया गया है इसमें धारा 38 (3) में वांछित प्रतिभूति भी नहीं जमा की गयी है। यह भी कहा गया है कि जब तक इस अधिनियम के धारा 48 में इसके प्रवर्तनीयता हेतु अभिलेख ( Record) नहीं कराया जायेगा तब तक कोई पंचाट प्रवर्तनीय नहीं होगा। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने इस आवेदन को प्रवर्तन

आवेदन मान लिया। अन्ततः न्यायालय ने अन्तरिम आदेश के रूप में अन्तिम आदेश की प्रत्याशा में पारित कर दिया।

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के पारित हो जाने के बाद सभी मामले उसी दिन से प्रवर्तित समझे जायेंगे, जिस दिन से अध्यादेश लागू हो गया तथा माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 निरसित कर दिया गया , भले ही विदेशी पंचाट के प्रवर्तन का मामला हो। 50. अपीलीय आदेश-( 1) अस्वीकृत करने वाले आदेश से एक अपील होगी

(क) धारा 45 के अधीन माध्यस्थम् के पक्षकारों को निर्देशित करने के लिये;



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(ख) धारा 48 के अधीन एक विदेशी पंचाट को प्रवर्तनीय बनाने के लिये ; न ऐसे आदेश की अपीलों की सुनवाई करने के लिये विधि द्वारा प्राधिकृत किये गये न्यायालय के समक्ष ।

(2) इस धारा के अन्तर्गत अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय उ.पील नहीं होगी, परन्तु उच्चतम न्यायालय में अपील के अधिकार में कोई व्यवधान नहीं होगा।

टिप्पणी प्रस्तुत धारा अपील योग्य आदेशों के सम्बन्ध में प्रावधान करती है तथा स्पष्ट करती है कि किन आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकेगी। धारा 50 (1) के अनुसार

(i) यदि धारा 45 के अन्तर्गत पक्षकारों ने विवाद को माध्यस्थम् को निर्देशित करने का अनुरोध

न्यायालय से किया है तथा न्यायालय ने विवाद को माध्यस्थम् को निर्देशित करने से इन्कार कर दिया है तो न्यायालय के ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी। यदि पक्षकार ने विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिये आवेदन किया है तथा न्यायालय ने धारा 48 के अन्तर्गत विदेशी पंचाट के प्रवर्तन से इन्कार कर दिया है , तो न्यायालय के इस आदेश

के विरुद्ध अपील हो सकेगी। - धारा 50 (1) के अनुसार ही उल्लिखित आदेशों के विरुद्ध अपील उसी न्यायालय में होगी जिस न्यायालय को ऐसे इन्कारी आदेश करने वाले न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने की अधिकारिता प्राप्त है।

धारा 50 (2) दूसरी अपील का वर्जन करती है तथा स्पष्ट करती है कि धारा 50 (1) के अन्तर्गत अपील में पारित आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील नहीं होगी , अर्थात् यदि धारा 50 (1) के अधिकार का प्रयोग कर लिया गया है तो पुनः अपील नहीं होगी। _परन्तु साथ ही साथ इसका एक अपवाद भी दिया गया है कि इस धारा के प्रावधान किसी व्यक्ति के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं लेता। तात्पर्य



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

यह है कि धारा 50 (2) के द्वारा किसी व्यक्ति का संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार समाप्त नहीं होता भले ही ऐसी अपील दूसरी अपील ही क्यों न हो।

सिन इट्स केमिकल कम्पनी लि. बनाम विन्ध्य टेली लिंक्स लि 02 के वाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति आर० वी० रविन्द्रन एवं न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू के खण्डपीठ ने माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 50 (2) एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 का समन्वय किया है। उल्लेखनीय है कि धारा 50 (2) में द्वितीय अपील को प्रतिबन्धित किया है , अर्थात् माध्यस्थम् के मामले में धारा 37 या धारा 50 में द्वितीय अपील को अपवर्जित किया गया है, अर्थात् द्वितीय अपील का कोई विहित अधिकार नहीं है, परन्तु संविधान के अनुच्छेद 136 में वर्णित विशेष अनुमति की अपील उसका अपवाद है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय किसी भी निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध विशेष अनुमति की अपील ग्रहण कर सकता है।

सुमीटोमो कारपोरेशन बनाम सी० डी० सी० फाइनेन्शियल सर्विसेज (मॉरीशस) लि. के मामले में कम्पनी लॉ बोर्ड के द्वारा पक्षकारों को माध्यस्थम् हेतु निर्देशित करने से इन्कार कर दिया गया था, क्योंकि विवाद जो प्रश्नगत था वह माध्यस्थम् करार की परिधि में नहीं आता था। इस मामले में कम्पनी अधिनियम की धारा 10 (च) में यह प्रावधानित है कि ऐसे आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता के भीतर कम्पनी का कार्यालय स्थित है। अन्ततः उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि कम्पनी लॉ बोर्ड का आदेश माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 50 के अधीन अपील योग्य नहीं है।

51. व्यावृत्ति-इस अध्याय में कोई भी बात किसी भी ऐसे अधिकारों के साथ अन्याय नहीं करेगा जो किसी भी पंचाट के भारत में प्रवर्तनीय होने का और किसी भी पंचाट के भारत में स्वयं के लिये उपलब्ध होता यदि इस अध्याय को अधिनियमित न किया जाता।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विध**

टिप्पणी यह धारा व्यावृत्ति खण्ड है। लगभग सभी अधिनियमों में इस खण्ड को रखा जाता है, जिसके द्वारा कुछ पूर्ववर्ती अधिकारों की रक्षा की जाती है। इस धारा के द्वारा यह प्रावधानित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत में कोई पंचाट प्रवर्तित कराने या भारत में किसी पंचाट को अभिप्राप्त करने का अधिकार रहा हो , तो वह अधिकार पूर्ववत् बना रहेगा। अर्थात् उसके उन अधिकारों को बचा लिया गया है तथा उन पर कोई आंच नहीं आयी है।

52. अध्याय 2 का लागू न होना-इस भाग का अध्याय 2 ऐसे विदेशी पंचाटों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिसके प्रति यह अध्याय लागू होता है।

टिप्पणी प्रस्तुत धारा न्यूयार्क अभिसमय के अनुच्छेद VII (2) तथा विदेशी पंचाट (मान्यता एवं प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अनुरूप है। यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अधिनियम का भाग-दो विदेशी पंचाटों के विषय में है , जिसका 'अध्याय-एक' न्यूयार्क अभिसमय के विषय में लागू होता है तथा 'अध्याय-दो' जिनेवा अभिसमय के बारे में लागू होता है। .

_धारा 52 घोषित करती है कि इस भाग के अध्याय-दो के प्रावधान उन विदेशी पंचाटों के विषय में लागू नहीं होंगे, जिन पर प्रस्तुत अध्याय के (अर्थात् भाग- 1 के) प्रावधान लागू होते हैं।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई देश दोनों ही अभिसमयों (अर्थात् न्यूयार्क एवं जिनेवा अभिसमय) का हस्ताक्षरी है तो वहां न्यूयार्क अभिसमय ही लागू होगा।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.